रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2015/फाल्गुन 27, 1936
No. 597] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2015/PHALGUNA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

का.आ. 788(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का. आ. 1281 (अ), तारीख 15 मई, 2014**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के **20.900 कि.मी. से 95.000 कि.मी. (अहमदाबाद–गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन)** तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धरा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 12 जुलाई, 2014 को 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' और 'संदेष' दोनों में प्रकाषित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनूसुची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के कि.मी. 20.900 से कि.मी. 95.000 (अहमदाबाद–गुजरात/मध्य प्रदेश बार्डर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुल ब्लॉक/ सर्वे संख्या	पैकी संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	खेड़ा	(1) कथलाल	(1) पिठाई	665	----	निजी	कृषि	0-01-19	मंगळभाईं मोतीभाईं पशाभाईं मोतीभाईं पुनमभाईं मोतीभाईं
			(2) बागडोल	75	75/4	निजी	कृषि	0-03-77	रईंजी मथुरजी अमृतबेन छगाजी मथुरजी की वीधवा रमणभाईं छगाजी चंचलबेन छगाजी मथुरजी की पुत्री बाबुभाईं छगाजी सुरजबेन छगाजी वीराजी फुलाजी शान्ताबेन फुलाजी मगन फुलाजी नाथाजी मथुरजी
		(2) थसरा	(1) सोनीपुरा / बालेविया	43	---	निजी	कृषि	0-26-00	कमळाबेन डाहयाभाईं की वीधवा सुरेशभाईं डाहयाभाईं रमेशभाईं डाहयाभाईं नरसीहभाईं मानाजी बीन नाथाजी वणजारा लीलाबेन वो वणजारा रामाभाईं मानाजी की सधवा ओरत

[फा.सं. एनएचएआई/अहमदाबाद/रा.रा 59/खेड़ा]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

S.O. 788(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.1281 (E), dated 15th May, 2014,** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **Km. 20.900 to Km. 95.000 (Ahmedabad-Gujarat /MP Border Section)** in District Kheda in the State of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Indian Express" and "Sandesh" both dated 12th July, 2014 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 20.900 to Km. 95.000 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the District	Name of Taluk	Name of Village	Block/ Survey number		Type of land	Nature of land	Area in hectare	Name of Person Interested
				Original Bloc / Survey No.	Paiki No.				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Kheda	(1) Kathalal	(1) Pithai	665	---	Private	Agriculture	0-01-19	Mangalbhai Motibhai Pashabhai Motibhai Punambhai Motibhai
			(2) Bagdol	75	75/4	Private	Agriculture	0-03-77	Raiji Mathurji Amrutben Chhagaji Mathurji's Widow Ramanbhai Chhagaji Chanchalben Daughter of Chhagaji Mathurji Babubhai Chhagaji Surajben Chhagaji Viraji Fulaji Shantaben Fulaji Magan Fulaji Nathaji Mathurji
		(2) Thasra	(1) Sonipura/ Balevia	43	—	Private	Agriculture	0-26-00	Kamalaben Dahyabhai's Widow Sureshbhai Dahyabhai Rameshbhai Dahyabhai Narsinhbhai Manaji bin Nathaji Vanzara Lilaben wife of Vanzara Ramabhai Manaji

[F. No. NHAI/Ahmedabad/NH-59/Kheda]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.